प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 933 सन 2021
अनवान :–

1. विकास पुत्र हरीसिह जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. शारदा पुत्री ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. चन्द्रावली पुत्र ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
3. बनो देवी पुत्री ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
4. गिरदावरी पुत्री ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
5. हरिसिह पुत्र ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
6. रामेश्वर पुत्र ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
7. रोहिताश नाबालिग पुत्र रामेश्वर जरिये माता कर्मजीत पत्नी रामेश्वर जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
8. पूजा नाबालिग पुत्री रामेश्वर जरिये माता कर्मजीत पत्नी रामेश्वर जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
9. उर्मिला पुत्री हरिसिह जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
10. निरमा पुत्री हरिसिह जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रशासन गांव के सगं अभियान मे वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 231/209 की कुल 10.1550हैक्‍ मे से मृतक तीजा के नाम 484/3385 हिस्सा एवं 484/3385 हिस्सा शारदा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी तीजादेवी एवं बुआ शारदा देवी के नाम से दर्ज है तीजादेवी का देहानत हो गया है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनसुार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो तीजा के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 10 वादी एव प्रतिवादी संख्या 7 की बुआ/चाचा/पिता है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भतिजो/पुत्रों के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतक तीजा जो वादी का बुआ/दादी है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि तीजा एवं शारदा के नाम से दर्ज है तीजा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार तीजा के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भतिजो/पुत्रो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया पेरोकार राज उपस्थित नही ना ही राज्य सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष है।

प्रकरण प्रशासन गांव के संग अभियान में वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 231/209 की कुल 10.1550हैक्ट मे से मृतक तीजा के नाम 484/3385 हिस्सा एवं 484/3385 हिस्सा शारदा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी तीजादेवी एवं बुआ शारदा देवी के नाम से दर्ज है तीजादेवी का देहानत हो गया है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनसुार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो तीजा के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 10 वादी एव प्रतिवादी संख्या 7 की बुआ/चाचा/पिता है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भतिजो/पुत्रों के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 231/209 की कुल 10.1550हैक्ट मे से मृतक तीजा के नाम 484/3385 हिस्सा एवं 484/3385 हिस्सा शारदा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है तीजा जो उसकी दादी है का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जो तीजा देवी के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल /राजीनामा पेश किया गया ।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 10 जो वादी की बुआ/पिता/बहने है ने अपने हकों को त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , 8 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों को त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ता 10 ने अपने हकों का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं किसी प्रकार का ऐजराज पेश नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 231/209 की कुल 10.1550हैक्ट में से मृतक तीजा के नाम 484/3385 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 शारदा के नाम 484/3385 हिस्सा दर्ज है को कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/11/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...किकराली...

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विकास पुत्र हरीसिह जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 शारदा पुत्री ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. चन्द्रावली पुत्री ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
3. बनो देवी पुत्री ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
4. गिरदावरी पुत्री ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
5. हरिसिह पुत्र ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
6. रामेश्वर पुत्र ताराचन्द जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
7. रोहिताश नाबालिग पुत्र रामेश्वर जरिये माता कर्मजीत पत्नी रामेश्वर जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
8. पूजा नाबालिग पुत्री रामेश्वर जरिये माता कर्मजीत पत्नी रामेश्वर जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
9. उर्मिला पुत्री हरिसिह जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
10. निरमा पुत्री हरिसिह जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2021 निर्णय दिनांक– 02/10/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 231/209 की कुल 10.1550हैक में से मृतक तीजा के नाम 484/3385 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 शारदा के नाम 484/3385 हिस्सा दर्ज है को कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.....किकराली

Scanned with CamScanner